12-1-2021 पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी वकील उपस्थित। अपीलार्थी वकील द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 का नोटिस अखबार में छपवा कर अखबार की प्रति व रेस्पोन्डेन्ट सं. 7/2 व 7/3 का नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजकर रसीदें पेश की जिसे शामिल मिसल किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7/2, 7/3 व 14 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र आयन्दा दिनांक 10-2-2021 को पेश हो।

10/2/2021 पत्रावली आज पेश। वकलाए फरीकैन उपस्थित। रेस्पोन्डेन्ट सं (11) की ओर से वकील श्री रमेश गर्ग द्वारा वकालतनामा पेश किया। जिसे मूल अपील में शामिल मिसल किया गया। व रेस्पोन्डेन्ट वकील जवाब हेतु समय चाहते है दिया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 15/2/2021 को पेश हो।

15/2/2021 पत्रावली आज पेश। वकलाए फरीकैन उपस्थित। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 15 की ओर से नोटिस बाद तामील कोई उपस्थित नहीं। आवाज दिलाई गई। उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। रेस्पोन्डेन्ट वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकारते हुए जवाब देने से इन्कार किया। अतः स्वतंत्र जवाब [illegible] उभयपक्षकारान वकीलों [illegible] की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज

PTO

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.12 18:43:24 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नं. 10/2020

देवाराम वि. मेरु वगैरह

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| | का अवलोकन किया। धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र व बहस में अपीलान्टस वकील द्वारा निवेदन किया कि अपीलान्टस को म्यूटेशन संख्या 2372 की जानकारी दिनांक 24.7.2020 को हल्का पटवारी के पास नकल हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करने गए तब अपीलान्टस को जानकारी हुई। व अपीलान्टस ग्रामीण परिवेश ग्रामीण में रहने वाले व्यक्ति है इसलिये अपीलान्टस को म्यूटेशन की जानकारी नहीं हुई इसलिए अपीलान्टस की अपील को अंदर म्याद शुमार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिस पर रेस्पोंडेन्टस वकील द्वारा म्याद के प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकारते हुए कोई आपत्ति नहीं की व आर्डरशीट पर हस्ताक्षर किये गए।<br><br>अपीलान्टस व रेस्पोंडेन्टस वकील के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर अपीलान्टस की अपील अंदर म्याद किया जाना न्यायोचित होने से अपील को अंदर म्याद शुमार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा वहन करेंगे।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>रानीवाड़ा | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.03.12 18:43:24 IST
Reason: SelfAttested